**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1309**

**14 मार्च, 2017 को उत्तर के लिए**

**हेलिकॉप्टर खरीद में अनियमितताएं**

**1309. श्री दिलीपभाई पंडया :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क) क्या सरकार ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;**

**(ख) क्या हाल ही में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी 197 लाइट यूटीलिटी हेलिकॉप्टर की खरीद में हुई अनियमितताओं के संबंध में एक मामला दर्ज किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और**

 **(ग) क्या सरकार ने लाइट यूटीलिटी हेलिकॉप्टर की खरीद संबंधी सौदे को रद्द कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?**

**उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

**(क): 12 वीवीआईपी/वीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु मै. अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशलन लि. (एडब्ल्यूआईएल) के साथ 8 फरवरी, 2010 को हस्ताक्षरित संविदा को मै. एडब्ल्यूआईएल द्वारा पूर्व-संविदा सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधानों के उल्लंघन तथा संविदा की शर्तों के उल्लंघन के कारण 1 जनवरी, 2014 से समाप्त कर दिया गया था ।**

**(ख) और (ग): केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में जनवरी, 2014 में एक नियमित मामला दर्ज किया है । रक्षा अर्जन परिषद (डीएसी) के निर्णयानुसार 29.08.2014 को 197 टोही एवं निगरानी हेलिकॉप्टरों (आरएंडएसएच) हेतु आरएफपी को वापस ले लिया गया है ।**

\*\*\*